राजकीय अभियंत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़

पत्रांक/ दिनांक

<u>निविदा प्रारूप</u>

1. ....(वस्तुओं का नाम जिनके लिए निविदा प्रसतुत की गयी है) के लिए निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फार्म का नाम व डाक का पता
3. ....
   ....
   ....
4. किसको सम्बोधित किया गया ....
5. संदर्भ ....
6. निविदा शुल्क की राशी ....
   संख्या ....एंव दिनांक ....द्वारा/ रेखांकित पोस्टल आर्डर डाफट संख्या ....के द्वारा जगा करा दी गयी है।
7. हम ....द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या..................... दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

8. निम्नलिखित मदों की सप्लाई के लिए दरें निम्न प्रकार होंगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा उनमें प्रत्येक के सामने अंकित की गई है।

....क्र.स. वस्तु का नाम मय विशेष दर (स्पये) कीमत (उत्पादक शुल्क कार्टिज पैकिंग आदि को शामिल करते हुए)केन्द्रीय बिक्री कर, राजस्थान बिक्री कर, चॉगी कर, यदि कोई हो। इसमें से डिसकाउण्ट छूट (रिबेट) को घटा कर शुद्व मूल्य।

....

सलंग्न सूची के अनुसार

9. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से .....की अवधि के भीतर भाल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी। भाल की सुपुर्दगी निम्न प्रकार से की जाएगी मात्रा .....अवधि/दिनांक यदि कोई हो .....
10. ऊपर उद्वत की गई दरें .....तक के लिए विद्यिमान्य है। इस अवधि को पारस्पारिक सहमति के आधारी पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
11. बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैक संख्या .....जो (बैंक का नाम) पर आहरति किया गया है। नकद रसीद संख्या...../ चालन संख्या .....दिनांक .....रूपये के लिए बयाना राशि के पेट सलग्न किया जाता है।
12. इसके साथ आयकर चुकती प्रमाण पत्र, बिक्री कर पंजीयन एंव बिक्री कर चुकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाते है।
13. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र भी सलंग्न किया जाता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

एस.आर. प्रारूप–11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/स्टोंस/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सीलसैलिंग/विपण्न एजेण्ट हूँ/है। यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में पहत कर लिए जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय, झालावाड़

खुली निविदा हेतु निविदा तथा ठेके की शर्ते

टिप्पणीः निविदादाताओं को चाहिए कि वे इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ लें ओर अपनी निविदाएं भेजते समय इन का कठोरता से पालन करें ।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार समुचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद किया जाना आवश्यक है।

2. वास्ताविक डीलरों द्वारा निविदाएं निविदाएं केवल माल के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जानी चाहिए। अतः वे प्रारूप एस.आर–1 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगें।

3. (ए) फर्म के गठन आदि में हुए किसी परिवर्तन की सूचना ठेकेदार द्वारा तुरंत क्रय अधिकारी को दी जाएगी और ऐसा परिवर्तन फर्म आदि के पुर्ववर्ती सदस्य के ठेके के अधीन के दायित्व से मुक्त नही रहेगा। (बी) ठेकेदार द्वारा ठेके के संबंध में फर्म के तब तक कोई नया/नए भागीदार स्वीकार नहीं किया जाएगा/किए जायेगें। जब तक कि वह/वे समस्त निबंधनों और शर्तो का पालन करने हेतु सहमत न हो और क्रय अधिकारी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न करा दे।

   अभिस्वीकृत हेतु ठेकेदार की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युकतानुसार स्वीकृत किया जाएगा और उससे वे सभी आबद्व होंगे और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा ।

4. बिक्री कर रजिस्ट्रीकरण और समाशोधन प्रमाण पत्र कोई भी डीलर जो उस राज्य में जंहा उसका कारोबार स्थित है, प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है। निविदा प्रस्तुत नही करेगा, रजिस्ट्रीकरण संख्याक वर्णित किया जाना चाहिए और संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से समाशोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जिसके बिना निविदा अस्वीकृत किए जाने हेतु दायी होगा।

5. आयकर प्रमाण पत्रः निविदा दाताओं को अपनी निविदा के साथ संबधित सर्किल के आयकर अधिकारी से आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र करना चाहिए और संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से समाशोधन प्रमाण पत्र

प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके बिना निविदा अस्वीकृत किए जाने हेतु दायी होगा।

6. निविदा प्रारूप स्याही से भरें जाएंगे अथवा टंकित होंगे। पेंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नही किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ट पर और अंत में, निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।

7. दरों को शबदों ओर अंको दोनो में ही लिखा जाएगा। गलतियां तथा लिप्त लेखन नही होना चाहिए यदि कोई संशोधन हो तो उन्हे स्पष्ट रूप से किया जाए। उन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किए जाए, दरों मे राजस्थान बिक्री कर ले और केन्द्रीय बिक्री कर के घटक पृथक से वर्णित किए जाने चाहिए।

8. वर्णित की गई समस्त दरें गंतव्य पर रेल पर्यन्त निःशुल्क होनी चाहिए और उसमें चुंगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर के सिवाय समस्त प्रासंगिक प्रभाव सम्मिमलित होने चाहिए जिन्हें अलग' से दर्शित किया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदाय के मामलों मे दरों से समस्त कर आदि सम्मिलित होने चाहिए ओर महाविद्यालय द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभाव संदत नही किया जाएगा और माल का परिदान क्रय अधिकारी के परिसर पर यिा जाएगा। क्रय का जाने वाला माल कार्यालय उपयोग हेतु होता है अतः चुंगी संदेय नही होगी। फलस्वरूप दरों मे चुंगी और स्थानीय कर सम्मिलित नही होने चाहिए यदि क्रय किया जाने वाला माल पुनः बिक्री हेतु हो या बिक्री हेतु किसी माल के विनिमार्ण के लिए प्रस्तुत किया जाए तो दरों में चुंगी ओर स्थानिय कर सम्मिलित होंगे पूर्ववर्ती मामलों में क्रय आदेश के साथ विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(9)1. दरों की तुलनाः राजस्थान के बाहर की फर्मो द्वारा तथा राजस्थान की उन फर्मो द्वारा जो नियमों के अधीन मूल्य अधिमानता की हकदार नही निविदत दरों की तुलना में राजस्थान बिक्री कर का घटक अपवर्जित कर दिया जाएगा और केन्द्रीय बिक्री कर का घटक सम्मिलित कर दिया जाएगा।

2. राजस्थान के भीतर की फर्मो के संबंध में तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर का घटक सम्मिलित किया जाएगा।

10. मूल्य अधिमानः मूल्य अधिमानता/ अधिमानता राजस्थान के उद्योग द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जाएगी ।

11. विधिमान्यताः निविदाएं निविदा खोले जाने की तारिख से एक वर्ष की कालविधि हेतु विधि मान्य होगी।

12. यह मान लिया जाएगा कि अनुमोदित प्रदायक ने प्रदाय किए जाने वाले माल के संबंध में शर्तो, विनिर्देशों,आकार मेक और डाईग आदि का सावधानी पूर्वक परिक्षण कर लिया है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग या विनिर्देश, डाईग आदि के अर्थ के संबंध मे कोई संदेह है तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रय अधिकारी निदिष्ट करेगा और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेगा।

13. ठेकेदार किसी अन्य अभिकरण को अपना ठेका या उसका कोई महत्वपूर्ण भाग समनुदेक्षित नही करेगा या उप पट्टे पर नहीं होगा।

14. <u>विनिर्वेशः</u>

1. प्रदाय की गयी समस्त वस्तुए निविदा प्रारूप अभिकथित, विनिर्देश टेडगार्क के अनुरूप होगी तथा कही वस्तुएं आई.एस.आई. विनिर्देशों के अनुरूप होगी। उन पर ऐसा मार्क ाहेना ही चाहिए।

2. तारंकित क्रमांक .....की वस्तुओं का प्रदाय इसके अतिरिक्त पुर्णत अनुमोदित नमूनों के अनुरूप होगी तथा अन्य सामाग्री के मामले मे जिनका कोई मानक या अनूमोदित नमूना नही है। प्रदाय सर्वोतम क्वालिटी और विवरण का होगा। इस संबंध मे कि प्रदायित वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप है तथा नमूनों के यदि कोई हो के अनुसार हे क्रय अधिकारी/क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा और निविदादाता पर आबद्व कर होगा।

3. वारंटी/गारंटी–निविदादाता इस संबंध में गारंटी देगा कि क्रय किए जाने वाले माल/भण्डार/वस्तुओं के परिदान की तारीख से ..... दिन /माल की कालावधि हेतु माल/भण्डार/वस्तुए विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार विवरण और क्वालिटी के अनुरूप बनी रहेगी और इस तथ्य के होते हुए भी कि कता ने उकत माल/भण्डार/वस्तुओं का निरिक्षण/तथा अथवा अनुमोदन कर लिया है, यदि उपर्युक्त .....दिन/मास की कालावधि के दौरान उकत माल/भण्डार/वस्तुओं के संबंध में यह पाया जाए कि वे उपर्युक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप नही है या ऐसी अवधारित की गयी है (और उस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिक ओर निर्णायक होगा) तो क्रेता उक्त माल/भण्डार वस्तुओं का या उसके उेसे किसी भाग को जिसे उक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप न पाया जाए अस्वीकृत करने का हकदार होगा। ऐसा अस्वीकृति पर माल विक्रेता की जोखम पर होगा ओर माल की अस्वीकृत आदि से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे।
निविदादात, यदि उसे ऐसा करने को कहा जाए तो माल अादि को या उसके ऐसे किसी भाग को जिसे क्रय अधिकारी पर इसमें समविष्ट कोई बात प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगी।

4. मशीनरी तथा उपस्कारों के मामले में भी उपर्युक्त खण्ड (3) में वर्णित गारंटी दी जाएगी और निविदादाता, गारंटी कालावधि के दौरान उन पुर्जो, यदि कोई हो, को बदलेगा तथा किसाी विनिमार्ण दोष को दूर करेगा यदि उपयुक्त कालावधि के दौरान उसका पता लगे जिससे कि मशीनरी ओर उपरकार सक्रिय रहे। निविदादाता मशीनरी को तथा उपस्करों को बदलेगा यदि वे दोषपूर्ण पाए जांए और उन्हे विनिमार्ण दोष आदि के कारण संचालित नही रखा जा सकतां निर्धारित अवधि में प्रदाय का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। निर्माता के विलम्ब के लिए प्रदायक की उत्तरदायी होगा।

5. क्रय अधिकारी विनिदिष्ट की गयी मशीनरी तथा उपस्करों के मामले में, निविदादाता उन निबंधनों और शर्तो पर जिन पर सहमति हो गयी हो, वाषिक अनुरक्षण और मरम्मत की दर सविदा के अधीन हो या अन्यथा रूप से माडल में परिवर्तन की दशा में वह क्रय अधिकरी को पर्याप्त नोटिस देगा जो उत्कृष्ट दशा में मशीनरी तथा उपस्कर के अनुरक्षण हेतु उनसे अतिरिक्त पुर्जे खरीदना चाहे।

(15) <u>निरिक्षण:</u>

1. क्रय अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्रधिकृत/प्रतिनिधि समस्त उपयुक्त समयों पर प्रदायक के परिसर में पहुंच सकेगा और उसे समस्त उपयुक्त समयों पर विनिमार्ण प्रक्रिया के दौरान या उसके पश्चात, जैसा निर्णीत किया जाए, माल/उपस्कार/ मशीनरी की सामग्री ओर कर्म कौशल का निरीक्षण तथा परीक्षणस करने की शक्ति होगी।

2. निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम और वर्कशप के परिसर का पूरा पता प्रस्ततुत करेगा जंहा निरीक्षण किया जा सकता है ओर संम्बधित व्यक्ति का नाम और पता भी प्रस्तुत करेगा जिससे इस प्रयोजनाथ सम्पर्क किया जाना है। उन डीलरों के मामले में जो करोबार में नवीन रूप से प्रविष्ट हुए है, उनके बैकर से परिचय पत्र आवश्यक होगा।

(16) नमुने: अनुसूची के भीतर अंकित वस्तुओं हेतु निविदाओं के साथ निविदात वस्तुओं के समुचित रूप से पेक किकए गयए नमुनों के दो सेट होगे। यदि ऐसे नमूने वैयक्ति रूप से प्रस्तुत किए जाए तो उन्हे कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा। नमूना प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमुने हेतु एक रसीद दी जाएगी। यह यदि नमूने रेल आदि द्वारा भेजें जांए तो उन्हे संवत, भाड़ा भेजा जाना चाहिए और धारा आर.या जी.आर. अलग लिफाफे में रजिस्टी द्वारा भेजी जानी चाहिए। भोजन प्रबंध/खाद्य वस्तुएं निविदादाता के खर्च पर प्लास्टिक वक्स मे या पौलीथिन बैग में दी जानी चाहिए।

17. प्रत्येक नमूनों को उपयुक्त रूप से अंकित किया जाएगा चाहे नमूनों पर लिखकर या पर्चो पर लिख कर टिकाउ कागज पर लिख कर नमूनें पर

सुरक्षित रूप से चिपकाया जाएगा, उसमें निविदादाता का नाम और मद का क्रमांक जिसका वह अनुसूची में नमूना है, अंकित होगें।

18. अनुमोदित नमूने संविदा की समाप्ति के पश्चात छह मास की कालवधि तक निःशुल्क रखें जाएंगे। महाविद्यालय इन नमूनों के रखे जाने की कलावधि के दौरान, किसी नुकसान टूट–फूट या जाँच परीक्षण के दौरान किसी हानि हेतु उत्तरदायी नही होगा।

नियत कलावधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूने वापिस ले लिए जाएंगे। माहविद्यालय किसी भी प्रकार से नमूनो की वापसी हेतु प्रबंध नही करेगी। संविदा की समाप्ति के 9 मास के भीतर वापस न लिए गए नमूनों का समाहरण माहविद्यालय द्वारा कर लिया जाएगा और उनके मूल्य आदि हेतु कोई भी दावा ग्रहण नही किया जाएगा।

19. अनुमोदित न किए गए नमूने विफल निविदादाता द्वारा वापस ले लिए जाएंगे महाविद्यालय इन नमूनों के प्रतिधारण काल के दौरान किसी जाँच परीक्षण किए जाने संबधं में होने वाले किसी नुकसान टूट–फूट या हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगी। वापस न लिए गए नमूनों का समपहरण हो जाएगा तथा उनके मूल्य आदि के संबंध में कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

20. जब प्रदाय प्राप्त हो तो ये यह सुनिश्चित किए जाने हेतु निरीक्षण के अध्यधीन होंगे कि वे विनिर्देशों के या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जब आवश्यक हो या विहिल हो या व्यवहार्य हो तो परीक्षण माहविद्यालय प्रयोगशालाओं में प्रतिष्टित परीक्षण गृहों जैसे श्रीराम टेस्टिंग हाउस नई दिल्ली तथा इसी प्रकार के संस्थानों में करवाएं जाएंगे और प्रदाय तभी स्वीकार किए जाएगे जब वस्तुए ऐसे परीक्षण के फलस्वरूप विहित विनिर्देशों के मानक के अनुरूप हो।

21. नमूने लिए जानाः– परीक्षण के मामले में नमूने निविदादाता की या उसके प्रधिाकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में लिए जाएंगे ओर उनकी उपस्थिति में समुचित रूपसे सील किया जाएगा। एंसा एक संट उन्हे दिया जाएगा। एक या दो प्रयोगशाला को तथा अथवा परीक्षण गृह को भेजें जाएंगे तथा तीसरा चौथा अधिकारी द्वारा संदर्भ और उभिलेख हेतु रख लिया जाएगा।

22. परीक्षण व्ययः परीक्षण व्यय का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। यदि निविदादाता द्वारा अविलम्ब परीक्षण की व्यवस्था किए जानहे हेतु इच्छा व्यकत की जाती है या परीक्षण परिणाम यह दर्शित करे कि नमूने विहित मानको या विनिर्देशों के अनुरूप नही है तो परीक्षण व्य निविदादाता द्वारा सदेय होगा।

23. अस्वीकृत किया जानाः

1. निरीक्षण के या परीक्षण दौरान अनुमोदित न की गई वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हे क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाता अपने स्वंय के व्यय पर बदलेगा।

2. तथापि, यदि माहविद्यालय कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पुर्णतः या अशंत साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात कारणो को अभिलिखित करके, अनहुमोदित दरों से उपयुक्त रकम कटोती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।

(24) अस्वीकृत की सूचना के 15 दिनों के भीतर, अस्वीकृत वस्तुएं निविदादाता द्वारा हटा दी जाएंगी, उसके पश्चात क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानी हेतु दायी नही होगा ओर उसे अधिकार होगा कि वह निविदादाता की जाखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटान उस रीति से कर दे जिसे वह उपयुक्त समझे।

(25) निविदादाता इस बात हेतु दायी होगा कि वह सुचिता पेकिंग करे जिससे कि समुद्र, रेल सा सड़क या वायु द्वारा परिवहन की सामान्य स्थितियों में होने वाले नुकसान को टाला जा सके और गंतव्य पर परेषिती को अच्छी दशा में सामग्री का परिदान हो के। किसी हानि नुकसान टूट–फूट या लीकेज या किसी कमी की पूर्ति करने हेत दायी होगा। इस कारण सके काई अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।

(26) प्रदाय के ठेके का क्रय अधिकार द्वारा किसी भी समय निराकरण निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने तथा निराकरण हेतं कारण अभिलिखित करने के पश्चात किया जा सकेगा। यदि प्रदाय उसके समाधानप्रद रूप में न किए गए हो।

(27) निविदादाता की या उसकी प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्ष प्रचार निरर्हता होगा।

(28) 1. परिदान कालावधि जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत हो चुकी है वह .....द्वारा प्रदाय आदेश की तारीख से

मात्रा की सीमाः– पुनरादेश, यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के आदेश दे दिए जाते है तो भी निविदादाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु आवद्व होगा। निविदा में दी गयी दरों और शर्तो पर पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेश मुलतः क्रय मात्रा का 50 प्रतिशत तक है ओर कालावधि पिछले प्रदाय की समाप्ति से एक मास से अधिक नही है। यदि निविदादाता ऐसा करने में विफल रहता है तो क्रय अधिकारी को यह छूट होगी कि वह अतिशष प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा से या अन्यथा रूप से करे ओर उपगत अतिरिक्त मूल्य निविदादाता से वसूली योग्य होगा। यदि क्रय अधिकारी निविदत वस्तुओं मे से किसी वस्तु का क्रय नही करता या निविदा प्रारूप मे वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता मुआवजे हेतु किसी दावे का हकदार नही होगा।

(29) आग्रिम राशिः

1. निविदा के साथ रूपये .....की अग्रिम राशि संलग्न होगी जिसके बिना निविदा पर विचार नही किया जाएगा। रकम .....के पक्ष में डाफ्ट द्वारा जमा कराई जानी चाहिए।

2. (क) किसी अनुसमचित बैंक डाफ्ट/बैंकर्स/चैक/ अन्य रूप से स्वीकार्य नही होगी। अग्रिम राशि की वापसीः विफल निविदादाता की अग्रिम राशि निविदा की अंतिम स्वीकृति के तुरंत पश्चात वापस कर दी जाएगी।

3. बयान राशि से छूटः उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है। उन मदों के संबध में जिनके लिए वे उक्त रूपसे रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदार्य आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

4. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रमों को अग्रिम राशि की रकम जमा करान की आवश्यकता नही है।

5. किन्ही अन्य निविदाओं के संबध मे विभाग/कार्यालय में पड़ी हुई अग्रिम राशि प्रतिभूति निपेक्ष जिनका अनुमोदन या अस्वीकुत प्रतीक्षित है या जो पूरे होने वाले संविदाओं के संबंध में पड़ी हुई है। नवीन निविदाओं हेतु अग्रिम राशि प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजिता नही की जाएगी। तथापि निविदाओं के पुनः आमंत्रण की दशा में अग्रिम रशि पर चिचार किया जा सकेगा।

(30) अग्रिम राशि का समपहरणः अग्रिम राशि का निम्नलिखित स्थितियों में समपहरण किया जा सकेगाः

1. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता हो।

2. जब निविदादाता विनिदिट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो निष्पादित नही करता।

3. विभाग द्वारा प्रतिभूति की रकम पर कोई ब्याज संदत नही किया जाएगा।

4. प्रतिभूति राशि के निम्नलिखित रूप होगें ।

(क) नकद/बैंक डाफ्ट/बैंक चैक/रसीदी चालन की प्रति
(ख) सम्यक रूप से गिरवी रखी गयी डाकघर बचत बैंक पास बुक
(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र, प्रतिरक्षा बचत पत्र, किसान विकास पत्र या लघु बचतों के अभिवर्धन हेतु राष्ट्रीय बचत योजना के अधीन लेख/लिखित यदि उसे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को अभ्यपंण मूल्य पर स्वीकृत किया जाएगा।

5. एक समय क्रय के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अंतिम प्रदाय से एक मासा के भीतर तथा समान्तर परिदान के मामले में संविदा की संतोषप्रद समाप्ति के पश्चात या गारंटी कालावधि यदि कोई हो कि सामाप्ति के पश्चात इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, तथा इस समाधान के कि निविदादाता के विरूद्व कोई भी राशि बकाया नही है के दो मास पश्चात प्रतिभूमि की रकम लौटा दी जाएगी।

2.
1 निदेशक उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्टीकृत फर्मो को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीय की विधिवत अनुप्रामाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।

2. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की रकम प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगे।

3. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की रकम का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगाः
(क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो का भंग किया जाता है।
(ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से पूण्र प्रदाय करने में विफल रहता है।
(ग) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा इस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

4. करार के पूर्ण किये जाने तथा स्टाम्पिंग किए जाने का निविदादाता द्वारा संदत किया जाएगा और विभाग को करार का सम्यक रूप से निष्पादित स्आम्पित प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।

(32)

1. समस्त माल रेल या परिवहन के माध्यम से भाड़ा संदत करके भेजा जाना चाहिए। यदि माल को भाड़ा दिए जाने की शर्त के अधीन भेजा जाता है तो प्रदायक के बिल से भाड़ा तथा भाड़े का 5 प्रतिशत विभागीय प्रभार वसूल कर लिया जाएगा।

2. आर.आर. को केवल चैक के माध्यम से रजिस्ट्री लिफाफे में भेजा जाएगा।

3. यदि क्रय अधिकारी के द्वारा बैंक के द्वारा ऐसा चाहा जाए कि प्रदाय को यात्री रेल से भेजा जाए तो सम्पूर्ण रेलभाड़े का वहन विभाग द्वारा किया जाएगा।

4. संदाय पर प्रेषण व्यय निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(33) बीमाः

1. माल गंतव्य गोदाम पर पूर्णतः अच्छी स्थिति में परिदत किया जाएगा। प्रदायक यदि वह ऐसा चहो मूल्यवान माल का चोरी विनाश या आग बाढ़ द्वारा इस स्पष्टीकरण के साथ अर्थात (युद्व विद्रोह बलवा आदि) से या अन्यथा नुकसान के विरूद्व बीमा करवा सकेगा। बीमा प्रभार का वहन प्रदायक द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रभारी सदि उपगत किए गए हो का संदाय राज्य द्वारा किया जाना अपेक्षित नही होगा।

2. यदि क्रेता चाहे तो क्रेता के व्यय पर भी वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम से या उसके समनुबंधी संस्थानों से कराया जाना चाहिए।

(34) संदाय

1. विरल तथा विशिष्ट प्रकरणों के सिवाय अग्रिम संदाय नही किया जाएगा। यदि अग्रिम का संदायकर दिया जाता है तो वह वित्तीय शक्तियों की विहित सीमया तक पूर्व निरीक्षण यदि कोई हो, तथा रेल/प्रतिष्ठित माल परिवहन कम्पनियों आदि द्वारा प्रेषण के प्रमाण पत्र के अध्यधीन होगा। अतिशष, यदि कोई हो संद्रय रेषण की अच्छी स्थिति में इस आश्य के प्रमाण पत्र के साथ जो टिप्पण निविदादाता को दिए गए निरीक्षण टिप्ण पर पृष्ठांकित किया है, प्रापत होने पर संदत किया जाएगा।

2. जब तक पक्षकारों के बीच अन्यथा सहमति न हो, भण्डारों के परिदान हेतु संदाय निविदादाता द्वारा क्रय अधिकारी सा.वि. एंव ले. नियम के अनुसारण में समुचित प्ररूप में बिल प्रस्तुत किए जाने पर किया जाएगा। समस्त प्रेषण व्ययों का वहन निविदादाता द्वारा किया जाएगा।

3. विवादग्रस्त मद के मामले मे 10 से 25 प्रतिशत तक रकम रोक ली जाएगी, ओर

विवदा के निपट जाने पर संदत कर दी जाएगी।

4. उस माल के प्रकरण में संदाय जिसके परीक्षण की आवश्यकता है उसी समय किए जाएगें जब परीक्षण कर लिए जांए प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देश के अनुरूप पाए जांए।

(35) 1. निविदा प्रारूप में परिदान हेतु विनिदिष्ट समय को संविदा का मूल तत्व समझा जाएगा और सफल निविदादाता क्रय अधिकारी से फर्म आदेश की प्राप्ति कर पर कालावधि के भीतर प्रदाय की व्यवस्था करेगा।

2. निर्धारित नुकसानः– निर्धारित नुकसार सहित परिदान कालावधि की वृद्वि के मामले में उस भण्डार जिसका प्रदाय करने मे निविदादाता विफल रहा है के मूल्य की निमनलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी।

1. (क) विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलंब 2.5 प्रतिशत

(ख) विहित कालावधि के एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी से अनाधिककालावधि तक का विलंब 5 प्रतिशत

(ग) विहित कालावधि के आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई तक की कालावधि का विलंब 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कावधि का विलंब 10 प्रतिशत

2. प्रदाय में विलंब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जाएगी यदि वह आधे दिन से कम हो ।
3. निर्धारित नुकसान की अधिकतम की अधिकतम रकम 10 प्रतिशत होगी।
4. यदि किसी बाधा के कारण संविदात्मक प्रदाय की पूर्ति में प्रदायक समय की वृद्वि चाहता है तो वह उस प्रधिकारी को बाधा के घटित होते ही उसके लिए लिखित में तुरंत आवेदन करेगा जिसने प्रदाय आदेश दिया है किन्तु प्रदाय की पूर्ति की नियत पारीख के पश्चात नही।
5. यदि माल के प्रदाय में विलंब की निविदादाता के नियंत्रण में परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना चढ़ाया जो सकेगा।

(36) वसूलियांः निर्धारित नुकसान, न्यून प्रदाय, टूट–फूट, अस्वीकृत वस्तुओं के संबंध में वसूलिया समान्यतः बिलों से की जाएगी। न्यून प्रदाय टूट–फूट अस्वीकृत वस्तुओं की सीमा तक रकम भी रोकी जा सकेगी और यदि प्रदायक

संतोषजनक रूप से वस्तुओं को बदलने में वफल रहता है तो निर्धारित नुकसान सहित वसूलियों विभाग में उपलब्ध उसकी बकाया से तथा प्रतिभूमि निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूलियां संभव न हो राजस्थान लोक मांग वसूली के या तत्समस प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही हो जाएगी।

(37) निविदादाता को आवश्यक हो आर्यात अनुप्ति प्राप्त करने हेतु अपनी स्वंय की व्यवस्थाएं करनी चाहिए।

(38) यदि निविदादाता कोई ऐसी शर्त अधिरोपित करता है जो इसमें वर्णत शर्तो के अतिरिक्त है या उनके प्रतिकूल है तो उसकी निविदा संक्षिप्त विचारण पर अस्वीकृत के पत्र में विशष रूप से वर्णित न हो ऐसी कोई भी शर्त स्वीकृत की हुई नहीं समझी जाएगी।

(39) क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने का किसी भी निविदा को बिना कराण बतलाए अस्वीकृत करने का और किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने का ओर किसी भी निविदा को समस्त या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधिक को वितरित करने का अधिकारी सुरक्षित रखता है।

(40) निविदादाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा ।

1. भागीदारी फर्मो के मामले में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि।
2. यदि फर्म फर्मो के रजिस्टार के पास रजिस्टीकृत हो तो रजिस्टीकरण क्रमांक और रजिस्टीकरण का वर्ष ।
3. एक मात्र स्वत्वाधरित की दशा में निवास तथा कार्यालय का पता टेलीफेन संख्याकं
4. कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार प्राप्त जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण

(41) यदि संविदा के निर्वचन अर्थ तथा भंग मं संविदा से कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रकरण को पक्षकारों द्वारा विभागाध्यक्ष को निदिष्ट किया जाएगा जो अपने ऐसे वरिष्ठतम अधीनस्थ को विवाद के एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा जो के संविदा से संबंध नही होगा। और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(42) समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (महाविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में ही स्थित न्यायालयों में संस्थित की जाएगी, अन्यत्र नही।

(43) आई.एस.ओ. प्रमाण पत्रधारी निर्माताओं की सामग्री को प्राथमिकता दी जावेगी।